संख्या-71/2019/1976 ई-2/तेरह-2019-29/2016

प्रेषक,

आलोक कुमार दिवेदी,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

आबकारी अनुभाग-**2** लखनऊः दिनांक 11 अक्टूबर, 2019

विषयः सेवी गोर्डेनिया रेस्टोरेन्ट, पिपराइच रोड, पादरी बाजार, गोरखपुर को एफ**0**एल**0-7** बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त उ.प्र. प्रयागराज को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-209(**2**)/जि0आ0अ0/ गोरखपुर दिनांक 23-01-2019 तथा पत्र संख्या-103(25)/जि0आ0अधि0/ गोररखपुर दिनांक 24-08-2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सन्दर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दिनांक 22-01-2019 में की गयी संस्तुति तथा इसी सन्दर्भ में आबकारी आयुक्त, प्रयागराज के पत्र सं0-जी-122/दस-लाइसेंस-43/एफ0एल0-6,7/सेवी गोर्डेनिया रेस्टोरेन्ट/बार अनु0/गोरखपुर दिनांक 19-09-2019 में की गयी संस्तुति व अन्य समस्त सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त सेवी गोर्डेनिया रेस्टोरेन्ट, पिपराइच रोड, पादरी बाजार, गोरखपुर को एफ**0**एल**0-7** बार अनुज्ञापन स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में एतद्द्वारा इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान की जाती है कि उनके प्रतिष्ठान में आने वाले आगुन्तकों के वाहनों के कारण सार्वजनिक रास्ते पर आवागमन बाधित नहीं होगा, पार्किंग स्थल का स्पष्ट चिन्हांकन किया जायेगा। इकाई में स्थापित अग्शिमन यन्त्र पूर्णतः क्रियाशील अवस्था में होंगे व अग्निशमन विभाग की अनापत्ति जिन शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ दी गयी है, इकाई द्वारा उनका पूर्णरूप में अनुपालन किया जायेगा। इकाई द्वारा सी.सी.टी.वी. कैमरे एवं सुरक्षा कर्मियों की समुचित/पर्याप्त व्यवस्था तथा प्रवेश द्वार पर डी.एफ.एम.डी.(डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर) की व्यवस्था पूर्ण करने के पश्चात् ही लाइसेंस निर्गत किया जाय।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

संख्या-71/2019/1976(1)ई-2/तेरह-2019-29/2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 प्रयागराज को उनके पत्र संख्या-122/दस-लाइसेंस-43/एफ0एल0-6,7/सेवी गोर्डेनिया रेस्टोरेन्ट/बार अनु0/गोरखपुर, दिनांक 19-09-2019 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in